

ORDER - SHEET

JUDICIAL MAGISTRATE FIRST CLASS

Date of
order of
Proceeding

Order or Proceeding with Signature of Presiding Officer

Case No. 600304/16

Signature of
Parties of
pleaders where
Necessary

आज आरक्षी केन्द्र डाावारा विभाग के उपनिरीक्षक / सहायक
उपनिरीक्षक / प्रधान आरक्षक / आरक्षक नृपेश कुमार
को द्वारा थाना प्रमारी की ओर से अपराध
को अंतर्गत धारा 344 / स
भा 0 द 0 सं 0 / स . उ . डाावारा अधिनियम के अधीन दण्डनीय
अपराध के संबंध में अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग
पत्र / परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया।

राज्य द्वारा ए 0 डी 0 पी 0 ओ 0 श्री दिव्यरत्न उप 0।

अभियुक्त / अभियुक्तगण

करन सिंह 57. महाशज सिंह जाटव

उप-33 निवासी / निवासीगण दोरौली कालोनी में

थाना में जिला फिरोजपुर के ओर से अधिवक्ता

उपरिधत। अभियुक्त / अभियुक्तगण के ओर से अधिवक्ता

श्री X द्वारा मेमोरैण्डम / वकालतनामा प्रस्तुत

किया।

अभियोग पत्र / परिवाद पत्र समयावधि के भीतर प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण में संज्ञान के विषय पर विचार किया गया। अभियोग पत्र / परिवाद पत्र व प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से प्रथम दृष्ट्या अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्तानुसार भा 0 द 0 सं 0 / 344 / अधिनियम के अधीन कार्यवाही किये जाने के आधार प्रकट हो रहे हैं। अतः अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 190-(1) द 0 प्र 0 सं 0 के अधीन संज्ञान लिये जान का आदेश किया जाता है।

प्रकरण का पजीयन आपराधिक पजी 600304/16 में दर्ज किया जावे।

अभियुक्त / अभियुक्तगण द 0 प्र 0 सं 0 के धारा 207 के अधीन प्रावधानों के प्रकाश में अभियोग पत्र एवं दस्तावेजों की पठनीय प्रति निःशुल्क दिलायी जाये।

चूंकि अपराध जमानती प्रकृति का है अतः अभियुक्त / अभियुक्तगण की ओर से 7000 / - (सात हजार रुपये) की प्रतिभूति व इतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत किया जाये तो अभियुक्त को अभिरक्षा से मुक्त किया जाये।

करन सिंह

चूँकि मामला संक्षिप्त विचारणीय है। अतः संक्षिप्त विचारण किया गया। अभियुक्त/अभियुक्तगण के धारा 351/1 भा0द0स0/ अधिनियम के अधीन अपराध की विशिष्टियाँ विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाये और समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना स्वेच्छया स्वीकार किया। अतः अभिवाक् यथा संभव उसके शब्दों में लेखबद्ध किया गया।

अभियुक्त/अभियुक्तगण की स्वेच्छया अपराध की स्वीकारोक्ति को ध्यान में रखते हुए निर्णय प्रथक से टंकित कराकर हस्ताक्षरित, दिनांकित, मुद्रांकित कर घोषित किया गया। अभियुक्त को उक्त अपराध के अधीन दोषसिद्ध करते हुए न्यायालय अवसान तक की अवधि के दण्ड एवं 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त को 7 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

निर्णय की निःशुल्क प्रति अभियुक्त को प्रदान कर पावती ली जाये।

जप्तसुदा संपत्ति रुपये राजसात किये जायें। संपत्ति 19 पान देशी ज्वेलन मूल्यहीन होने से नष्ट कर व्ययनित की जाये। जप्तसुदा वाहन की दशा में वाहन उसके स्वामी को लौटाया जाये। सुपुर्दगी की दशा में सुपुर्दगीनामा निरस्त किया जाता है तथा अपील की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशों का पालन हो।

प्रकरण का परिणाम आपराधिक पंजी में पंजीबद्ध कर विहित अवधि में अभिलेख संचयन हेतु आवश्यक प्रतिपूर्ति उपरांत अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

A.K. Gupta

Judicial magistrate first class,

Gohad Dist. Bhind (M.P.)

पुनश्च

निर्णयानुसार अभियुक्त/अभियुक्तगण ने अर्थदण्ड की राशि 500 रुपये अदा की जिसकी पावती बुक क0 5624 रसीद क0 48 दी गई

अभियुक्त/अभियुक्तगण का सजा भुगताई गई।

प्रकरण उपरोक्त निर्देश अनुसार संचित हो।

A.K. Gupta

Judicial magistrate first class,

Gohad Dist. Bhind (M.P.)

करना